



प्रेषक,
सुधीर कुमार,
 विशेष सचिव,
 उ०प्र० शासन।
 सेवा में,
महानिरीक्षक निबंधन,
 उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1**लखनऊ, दिनांक : 17 सितम्बर, 2026**

विषय : उप निबन्धक कार्यालय, सिराथू व उप निबन्धक कार्यालय, मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के निर्माण हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर द्वितीय किशत की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-4657/ई-भवन-2/शि०का०लख०/2026 दिनांक 11-09-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (UPRNSS) द्वारा विभाग में उप निबन्धक कार्यालय, सिराथू व उप निबन्धक कार्यालय, मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के भवन निर्माण की गुणवत्ता जाँच कराकर जाँच आख्या प्रेषित कर शासनादेश संख्या-1/2026/141/94-1-2026-312(206)/2025 दिनांक 23-01-2026 द्वारा निर्माण हेतु निर्गत प्रथम किशत की वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त निर्माण कार्यों के लिए पुनरीक्षित लागत की द्वितीय किशत की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित कार्यालय भवनों के नवनिर्माण हेतु निविदा दर के अनुसार कुल पुनरीक्षित लागत रु० 457.46 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में धनराशि रु० 228.51 लाख (रुपये दो करोड़ अट्ठाइस लाख इक्यावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

क्र०	कार्यदायी संस्था का नाम	जनपद का नाम	कार्यलय का नाम	मानकीकृत लागत के आधार पर जनपदों को आवंटित धनराशि	कॉलम संख्या-5 में अंकित धनराशि का प्रथम किशत	प्रथम किशत की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय	तकनीकी स्वीकृति की कुल धनराशि	निविदा दर के अनुसार पुनरीक्षित लागत (समस्त शुल्क सहित धनराशि)	द्वितीय किशत की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	कौशाम्बी	उ०नि० कार्यालय, सिराथू	228.95	114.475	105.00	228.95	228.74	114.265
			उ०नि० कार्यालय, मंझनपुर	228.95	114.475	105.00	228.95	228.72	114.245
			कुल योग	457.90	228.95	210.00	457.90	457.46	228.51

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनांक 16.07.2024 व समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
2. निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त प्रक्रिया एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्यालय भवनों का निर्माण व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मानकीकरण के अनुसार किया जायेगा। इसको सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं का होगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद में किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
6. निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने हेतु महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
8. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा सेंटेंज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17-05-2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19-05-2023 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
10. कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो जाये।
11. निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में टाईम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21-06-2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा as executed estimate प्रस्तुत करते हुए बचत की धनराशि को एक माह के अन्दर विभाग को समर्पित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल धनराशि रु० 228.51 लाख (रुपये दो करोड़ अट्ठाइस लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 091 लेखा शीर्षक 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 800-अन्य व्यय, 03 स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण, 24 वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. आयुक्त, सहकारिता विभाग उ०प्र०।
5. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (UPRNSS)
6. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
9. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
10. सम्बन्धित उप महानिरीक्षक निबंधन/सहायक महानिरीक्षक निबंधन।
11. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।